ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स

ओफ़ - 148बी संशोधित

अनिवासी व्यक्तियों के लिए खाता खोलने हेतु फॉर्म

शाखा कोड ☐☐☐☐ शाखा का नाम ______________________

के लिए आवेदन: ☐ बचत ☐ चालू ☐ ओवरड्राफ्ट ☐ एफसीएनआर (बी) ☐ सावधि जमा ☐ पीडी/वीपीडी ☐ पीडी/वीपीडी

योजना का नाम		योजना कोड		प्रारंभिक जमा (भारतीय रू./अन्य मुद्रा में)	

फ्लेक्सी/फिकस्ड डिपॉजिट योजना   बचत खाता ☐   चालू खाता ☐   सावधि/प्रगतिशील जमा योजना का नाम के साथ लिंक

बचत/चालू खाते में रखे जाने वाला न्यूनतम बकाया शेष		न्यूनतम राशि की फ्लेक्सी डिपॉजिट		टीडी/पीडी अवधि	वर्ष		महीने		दिन	
फ्लेक्सी डिपॉजिट अवधि	वर्ष	महीने	दिन	टीडी/पीडी राशि				ब्याज दर		

आवेदक का विवरण

प्रथम आवेदक		ग्राहक आईडी:	
द्वितीय आवेदक		ग्राहक आईडी:	
तृतीय आवेदक		ग्राहक आईडी:	

मुख्य खाता धारक के साथ संबंध   द्वीतीय आवेदक ______   तृतीय आवेदक ______

बैंकिंग हेतु वैकल्पिक वितरण चैनल (अपनी आवश्यकतानुसार निम्न सूची से सेवाओं का चयन करें)

एटीएम व चैक बुक: स्वागत किट ☐ वैयक्तिक डेबिट कार्ड ☐ वैयक्तिक चैक बुक ☐

प्रेषण की विधि (यदि वैयक्तिक चैक बुक/एटीएम को निशान लगाया है) डाक द्वारा प्रेषण ☐ शाखा में रखें ☐

अन्य सेवाएं मोबाइल बैंकिंग ☐ एसएमएस अलर्ट* ☐ मासिक ई-विवरणी ☐ लॉकर सुविधा** ☐ डीमैट खाता** ☐

इंटरनेट बैंकिंग केवल पूछताछ ☐ पूछताछ व वित्तीय लेनदेन ☐

*एटीएम/डेबिट कार्ड के मामले में अनिवार्य   **केवल चुनिंदा शाखा में

सावधि जमा के मामले में परिपक्वता/ब्याज भुगतान के निर्देश

ब्याज का भुगतान मासिक ☐ तिमाही ☐ परिपक्वता पर ☐ **खाता सं.:** ______

परिपक्वता अनुदेश* मूलधन व ब्याज के साथ नवीकृत ☐ मूलधन का नवीकरण व ब्याज का भुगतान ☐ नवीकरण न करें ☐ **नवीकरण की अवधि:** वर्ष महीने दिन

संयुक्त अधिदेश (यदि अधिदेश दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी/पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी व्यक्ति है) ☐ जमाकर्ता की मृत्यु पर परिपक्वता पूर्व भुगतान उत्तरजीवी को किया जाए

*यदि कोई अनुदेश नहीं दिए है, तो जमाराशि उसी अवधि के लिए प्रचलित ब्याज दर पर नवीकृत हो जाएगी

खाता परिचालन हेतु अधिदेश

स्वयं ☐ दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी ☐ कोई भी या उत्तरजीवी(यों) को ☐ पूर्ववर्ती/परवर्ती या उत्तरजीवी को ☐ सभी द्वारा संयुक्त रूप से ☐ अभिभावक की संरक्षा रूप में अवयस्क ☐ पीओए/समनुदेशी ☐

नमूना हस्ताक्षर

प्राथमिक खाता धारक की हाल की रंगीन फोटो चिपकाएं	प्रथम संयुक्त खाता धारक की हाल की रंगीन फोटो चिपकाएं	द्वितीय संयुक्त खाता धारक की हाल की रंगीन फोटो चिपकाएं
प्राथमिक खाता धारक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (पु- एलटीआर, स्त्री - आरटीआर)	प्रथम संयुक्त खाता धारक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (पु- एलटीआर, स्त्री - आरटीआर)	द्वीतीय संयुक्त खाता धारक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (पु- एलटीआर, स्त्री - आरटीआर)

खाते का शीर्षक ______________________

खाता सं. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

तिथि दि दि मा मा व व व व   पीए/पीएफ सं. ☐☐☐☐☐☐

साक्षी अधिकारी के पूर्ण नमूना हस्ताक्षर

नामांकन: (बैंक जमाराशि के संबंध में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 ज़ेडए और बैंकिंग कंपनी (एन) नियम, 1985 के नियम 2(1) के तहत)

अधिदेश ☐ मैं नामांकन करना चाहता हूं (यदि चयन करते है तो नीचे विवरण दें) मुद्रण हेतु नामित का नाम ☐ हां ☐ नहीं ☐ मैं नामांकन सुविधा का लाभ नहीं लेना चाहता हूं

नामित का नाम

संबंध **जन्म तिथि** दि दि मा मा व व व व

पता

शहर **पिन**

राज्य **मोबाइल**

यदि नामित अवयस्क है: चूंकि इस तिथि पर नामित अवयस्क है, अत: मैं नामित की अवयस्कता की अवधि के दौरान मेरी/नामित की मृत्यु होने की दशा में नामित की ओर से निम्नांकित को जमाराशि प्राप्त करने हेतु नियुक्त करता हूं।

अभिभावक का नाम

अवयस्क से संबंध **जन्म तिथि** दि दि मा मा व व व व

पता

शहर **राज्य** **पिन**

प्राथमिक खाता धारक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (पु- एलटीआर, स्त्री - आरटीआर)	प्रथम संयुक्त खाता धारक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (पु- एलटीआर, स्त्री - आरटीआर)	द्वीतीय संयुक्त खाता धारक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (पु- एलटीआर, स्त्री - आरटीआर)

प्रथम गवाह का नाम व पता

द्वितीय गवाह का नाम व पता

प्रथम गवाह के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (पु- एलटीआर/स्त्री - आरटीआर)	प्रथम गवाह के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (पु- एलटीआर/स्त्री - आरटीआर)

☐ नाबालिग के संबंध में घोषणा (कृपया जो लागू हो ✓ या X निशान लगाएं)

अभिभावक का प्रकार ☐ पिता ☐ माता ☐ न्यायालय द्वारा नियुक्त

अभिभावक का नाम उ प सर्ग | प्र थ म | म ध्य | अं ति म

मैं एतदद्वारा यह घोषणा करता हूँ कि मैं उपरोक्त नाबालिग से जुड़े उसके बालिग अवस्था में पहुँचने तक भविष्य के किसी भी विवरण के सभी लेनदेनों हेतु नैसर्गिक अभिभावक/न्यायालय द्वारा दि. दि दि मा मा व व व व (प्रति संलग्न)

के आदेश (प्रति संलग्न) से नियुक्त अभिभावक के रूप में प्रतिनिधित्व करूंगा। एटीएम/डेबिट कार्ड से निकाली/खर्च की गई राशि नाबालिग की आवश्यकताओं हेतु उपयोग में लाई जाएगी। मैं, मेरे द्वारा उसके खाते में किए गए किसी भी आहरण/लेनदेन के लिए किए गए किसी भी दावे की बैंक को पूर्णत: क्षतिपूर्ति करूंगा। बालिग होने पर, बैंक को सूचित किया जाएगा और सभी औपचारीकताओं को पूरा किया जाएगा।

अभिभावक के हस्ताक्षर ____________________

☐ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) संबंधी घोषणा (कृपया जो लागू हो ✓ या X निशान लगाएं)

मैं/ हम सहमति और वचन देता हूं/देते हैं कि आवासीय स्थिति में किसी भी परिवर्तन की लिखित रूप में बैंक को सूचना दूंगा/देंगे। मैं/हम वचन देता हूं/देते हैं कि खाते/जमा के साथ ही बैंकिंग सुविधाओं का उपयोग सख्ती से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार करूंगा/करेंगे। • मैं/हम सहमत हूं/हैं कि यदि मेरे/हमारे अनुरोध पर परिपक्वता पूर्व निकासी की अनुमति दी जाती है, तो इस बारे में जमा की परिपक्वता पूर्व निकासी/नवीकरण से संबंधित बैंक अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्धारित दंडात्मक धाराओं सहित प्रवृत नियमों के अनुरूप जमा पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा। हम दोनों में से किसी एक की मृत्यु होने पर मीयादी जमाराशि का परिपक्वता पूर्व भुगतान उत्तरजीवी (ओं) को किया जाए। • मैं/हम वचन देता हूं/देते है कि मैं/हम भारत में किसी भी भारतीय निवासी को रूपयों की प्रतिपूर्ति के प्रति अथवा भारत में किसी अन्य तरीके से विदेशी मुद्रा विनिमय उपलब्ध नहीं कराउंगा/कराएंगे। अग्रतर, मैं/हम यह भी वचन देता हूं/देते हैं कि भारत में निवेश के प्रयोजन से खातों में होने वाले डेबिट एवं निवेश की बिक्री राशि को खाते में क्रेडिट के संबंध में, मैं/हम सुनिश्चित करता हूं/करते हैं कि ऐसा निवेश/संवितरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में बनाए गए विनियमों के अनुसार किया जाएगा है। • मैं/हम यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैं/हम इस बारें में अवगत हैं कि ऊपर दिए गए वचनों का उल्लंघन या अनुपालन नहीं होने पर फेमा 1999 के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है।

• मैं/हम वचन देता हूं/देते हैं कि जहां भी लागू/उपलब्ध होगा वहां बैंक को स्व प्रमाणित दस्तावेजी साक्ष्य को प्रस्तुत/सूचित करूंगा/करेंगे जैसे (i) भारतीय/विदेशी पते में परिवर्तन होने पर (ii) व्यवसाय/नौकरी में परिवर्तन होने पर (iii) अनिवासी दर्जे/नागरिकता में परिवर्तन होने पर (iv) मौजूदा पासपोर्ट की समाप्ति पर नवीकृत पासपोर्ट का विवरण (v) समय-समय पर बैंक/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किए गए अपने ग्राहक को जानिए नीति के अंतर्गत बैंक द्वारा अनुरोधित कोई भी अन्य दस्तावेज।

• अवयस्क के मामलें में, मैं/हम अभिभावक के रूप में सुनिश्चित करूंगा/करेंगे कि वयस्क होते ही अवयस्क से संबंधित आवास प्रामाण पत्र , पहचान का प्रमाण, पासपोर्ट की नवीनतम प्रति, नमूना हस्ताक्षर और नवीनतम फोटो आदि जैसे दस्तावेजों को केवाईसी अपेक्षाओं के अनुपालन हेतु एवं अधिदेश के अनुसार खातों के संचालन हेतु बैंक में प्रस्तुत किए जाएंगे।

• मैं/हम एफसीएनआर जमा के परिपक्वता पूर्व आहरण के मामले में (करेंसी नोटों/सिक्कों की प्रस्तुति के विरूद्ध जारी) न्यूनतम निर्धारित अवधि की समाप्ति से पूर्व, बैंक द्वारा निर्धारित दंडराशि प्रभारित की जाएगी तथा इसे जमा की राशि में से काटा जाएगा। एनआरओ/एनआरई/एफसीएनआर (बी) बैंक/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अध्यधीन है, जैसा जारी होने की तिथि को लागू है और या नकदीकरण/नवीकरण आदि में लागू है। न्यूनतम परिपक्वता अवधि के संबंध में, परिपक्वता पूर्व नकदीकरण पर ब्याज के भुगतान के लिए पात्रता नियमों के संबंध में, जमा की परिपक्वता पूर्व निकासी/परिपक्वता पूर्व आहरण और जमाराशि का एक योजना से दूसरी योजना में स्थानांतरण, और नवीकरण पर जुर्माना प्रावधान लागू होंगे। हमने नोट कर लिया है कि बैंक के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, जमाराशियों की जमानत पर ऋण की सुविधा स्वयं या तृतीय पक्ष को, जिसका विवरण शाखा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

• फेमा 1999 की धारा 10(5) के अंतर्गत घोषणा: मैं/हम एतदद्वारा घोषित करता हूं/करते हैं कि आपको सौंपे गए विदेशी विनियम संबंधित सभी लेनदेन तथा ऐसे लेनदेन जो आपके बैंक को समय-समय पर मेरे/हमारे द्वारा सौंपे जा सकते हैं, उनमें उपरोक्त के प्रावधानों के उल्लंघन या अपवंचना के प्रयोजन हेतु शामिल नहीं है/शामिल नहीं होंगे और तैयार नहीं किए गए/नहीं किए जाएंगे। अधिनियम या कोई नियम, विनियम, अधिसूचना, निर्देश या इसके अंतर्गत पारित कोई आदेश।

• मैं/हम एतदद्वारा सहमत हैं/हूं कि उपरोक्त अधिनियम की शर्तों के अनुसार आपकी यथोचित संतुष्टि के लिए इस प्रकार की कोई सूचना/दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का वचन देता हूं/देते हैं।

• मैं/हम यह भी वचन देता हूं/देते हैं कि मैं/हम यदि ऐसी किसी भी अनिवार्यता का अनुपालन करने में असफल होता हूं/होते हैं या कोई असमर्थनीय शिकायत करता हूं/करते हैं और यदि बैंक को लगता हैं कि मेरे/हमारे द्वारा किए जा रहे लेनदेन में छल/विरोध है तथा बैंक को लिखित रूप से लेनदेन को करने से इंकार करने का अधिकार होगा और मामले को भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किया जा सकता है। निर्धारित परिपक्वता अवधि वाला विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग का कोई खाता यदि तीन वर्षों तक निष्क्रिय रहता है, तो ऐसी स्थिति में तीसरे वर्ष की समाप्ति पर, बैंक विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग में जमा राशि को उस दिन प्रचलित विनिमय दर के अनुसार भारतीय रूपए में परिवर्तित कर देगा। तत्पश्चात, जमाकर्ता या तो भारतीय रूपए आगत और उस पर प्राप्त ब्याज, यदि कोई हो, या मूल जमा राशि और उस पर ब्याज, यदि ऐसे भारतीय रूपए आगम पर कोई ब्याज हो तो भारतीय मुद्रा आगम के बराबर (भुगतान के दिन प्रचलित दर पर गणना) विदेशी मुद्रा प्राप्त करने हेतु दावा करने का हकदार होगा। हमने नोट कर लिया है कि निम्नलिखित सूचना शाखा में बुकलेट फॉर्म/ब्रोशर के रूप में उपलब्ध है और यह बैंक की वेबसाइट www.obcindia.co.in पर भी उपलब्ध है।

☐ एफ़एटीसीए/सीआरएस घोषणा (कृपया जो लागू हो ✓ या X निशान लगाएं)

(i). मिथ्या साक्ष्य के अंतर्गत दंड के प्रावधानों में, मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि:

1. आवेदक (i) आवेदक एक संयुक्त राज्य अमेरिका ("यूएस") या अन्य राज्य या उसके या उसमें राजनीतिक उपखंड, कोलंबिया जिले सहित या अमेरिका के कोई अन्य राज्य के कानून के अंतर्गत कर योग्य अमेरिकी व्यक्ति है, (ii) संपत्ति है जिसकी आय उसके स्रोत की परवाह किए बिना, अमेरिकी संघीय आयकर के अधीन है। **(यह शर्त केवल तभी लागू होगी जब खाता धारक की पहचान अमेरिकी व्यक्ति के रूप में होती है)**
2. आवेदक भारत से बाहर किसी देश के कानूनों के अंतर्गत एक कर योग्य निवासी के रूप में कर देने हेतु पात्र है (यह शर्त केवल तभी लागू होगी यदि खाता धारक भारत से बाहर किसी देश में कर योग्य निवासी

(ii) मैं/हम यह मानता हूं/मानते हैं कि बैंक एफएटीससीए/सीआरएस के अनुपालन संबंधी हमारी स्थिति के निर्धारण के उद्देश्य से हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर विश्वास करता है।

(iii) मैं/हम यह सहमति देता हूँ/देते हैं, यदि इस फॉर्म में दी गई जानकारी या प्रमाणपत्र गलत हो जाते है, तो 30 दिनों के अंदर नया फॉर्म प्रस्तुत करूंगा/करेंगे।

(iv) मैं/हम यह सहमति देता हूँ/देते हैं, कि स्थानीय नियामकों/कर प्राधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर बैंक सीबीडीटी को रिपोर्ट योग्य सूचना दे सकता है/ मेरा खाता बंद/निलंबित भी कर सकता है।

(v) मैं/हम मेरे/हमारे द्वारा फॉर्म में दी गई सूचना को प्रमाणित करता हूँ/करते हैं और आवेदक द्वारा करदाता पहचान संख्या सहित मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास से प्रमाणपत्र सत्य, सही और पूरा है।

(vi) मैं/हम एतदद्वारा यह प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि मेरी/हमारी स्थिति की घोषणा इस संबंध में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा अधिसूचना सं. एस. ओ. 2155(ई) दिनांक 07 अगस्त, 2015 द्वारा अधिसूचित आयकर अधिनियम;1961 की धारा 285बीए, और भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संदर्भ सं. डीबीआर.एएमएल.बीसी.सं. 36/14.01.0012015-16 दिनांक 28 अगस्त 2015 के अंतर्गत है।

आधार विवरण भरने हेतु अधिदेश (कृपया जो लागू हो ✓ या X निशान लगाएं)

मैं, आधार संख्या | | | | | | | | | | | | |, का धारक, एतदद्वारा बैंक को यूडीआईए से प्रमाणीकरण के लिए मेरा आधार सं. तथा मेरे डेमोग्राफिक विवरण प्राप्त करने की सहमति देता हूं। बैंक द्वारा मुझे यह सूचित किया गया है कि मेरी पहचान की जानकारी केवल आधार सं. भरने और प्रमाणीकरण हेतु सीडीआईआर को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग में लाई जाएगी।

अशिक्षित के मामले में घोषणा (कृपया जो लागू हो ✓ या X निशान लगाएं)

"मैं एतदद्वारा सहमति व्यक्त करता/करती हूँ कि खाते का परिचालन मैं स्वयं करूंगा/करूंगी तथा बैंक उपयुक्त अतिरिक्त अन्यथा भुगतान करने का उत्तरदायी नहीं होगा । इस फॉर्म की अंतर्वस्तु मुझे स्पष्ट कर दी गई है और मैंने इन्हें समझ लिया है."

नेत्रहीन के मामले में घोषणा (कृपया जो लागू हो ✓ या X निशान लगाएं)

"मैं एतदद्वारा सहमति व्यक्त करता/करती हूँ कि खाते का परिचालन मैं स्वयं करूंगा/करूंगी तथा बैंक उपयुक्त अतिरिक्त अन्यथा भुगतान करने का उत्तरदायी नहीं होगा । इस फॉर्म की अंतर्वस्तु मुझे स्पष्ट कर दी गई है। कारोबार के नियम और अन्य सभी शर्तें भी मुझे बता दी गई है और मैंने इन्हें समझ लिया है।"

स्टाफ के मामले में घोषणा पीएफ़ नं. | | | | | | |

मैं एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का/की कर्मचारी /भूतपूर्व कर्मचारी /मृतक कर्मचारी का पति/पत्नी हूँ और इस खाते की जमाराशि मुझसे संबंधित है. यह खाता सुविधा की दृष्टि से संयुक्त नामों में रखा गया है. (संयुक्त खातों के मामलों में पहला नाम स्टाफ/सेवानिवृत्त स्टाफ/ मृतक कर्मचारी के पति/पत्नी का नाम होना चाहिए)।

पर्दानशीन महिलाओं के मामले में शपथ-पत्र (कृपया जो लागू हो ✓ या X निशान लगाएं)

मैं इसके साथ नोटरी द्वारा विधिवत् प्रमाणित शपथ-पत्र संलग्न कर रही हूँ, जिसमें मेरी आयु, शैक्षिक योग्यता, बचत बैंक/मीयादी जमा खाता खोलने की मेरी इच्छा तथा खाता खोलने के लिए आवश्यक अन्य निजी विवरण दिए गए हैं।

इंटरनेट, एटीएम/डेबिट कार्ड, एसएमएस अलर्ट और मोबाइल बैंकिंग सुविधा प्राप्त करने की स्थिति में घोषणा (कृपया जो लागू हो ✓ या X निशान लगाएं)

मैंने/ हमने इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम सुविधा, एसएमएस अलर्ट और मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के प्रयोग से संबंधित नियम एवं शर्तों को पढ़ व समझ लिए हैं और इन्हें स्वीकार करता हूं/करते हैं। मैं/ हम एतदद्वारा समय-समय पर लागू उक्त नियम व शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

केन्द्रीय केवाईसी रजिस्ट्री के अंतर्गत घोषणा/वचन- (कृपया जो लागू हो ✓ या X निशान लगाएं)

उपरोक्त कोई भी जानकारी यदि गलत अथवा असत्य अथवा भ्रामक अथवा मिथ्या पाई जाती है तो मुझे/हमें ज्ञात है कि मैं/हम इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाऊंगा/जाएंगे। मेरा/हमारा व्यक्तिगत केवाईसी विवरण केन्द्रीय केवाईसी रजिस्ट्री के साथ साझा किया जा सकता है। मैं/हम एतदद्वारा पंजीकृत नंबर/ईमेल पर एसएमएस/ईमेल द्वारा केन्द्रीय केवाईसी रजिस्ट्री से सूचना प्राप्त करने हेतु सहमति प्रदान करता हूं/ करते हैं।

आवेदक द्वारा घोषणा/वचन (कृपया जो लागू हो ✓ या X निशान लगाएं)

मैं/हम पुष्टि करता हूं/करते है कि विभिन्न सेवाओं/खातो से संबंधित नियमों को पढ़ और समझ लिया है। मैं/हम पुष्टि करता हूं/करते है कि मुझे/हमें बीसीएसबीआई कोड उपलब्ध कराया गया है। मैं/हम सहमत हूं/हैं कि मेरे/हमारे द्वारा बैंक में खोले जा रहे/ समय-समय पर खोले जाने वाले खातों को शासित करने वाले नियमों में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों का तथा समय-समय पर किए गए संशोधनों का, जो विभिन्न सेवाओं/उत्पादों से संबंधित हैं, परंतु जो एटीएम कार्ड/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/एस.एम.एस./मोबाइल बैंकिंग आदि तक सीमित नहीं है, अनुपालन करूंगा/करेंगे। मैं/हम सहमत हूं/हैं कि मेरे/हमारे विभिन्न खातों तथा/अथवा अन्य सेवाओं से संबंधित बैंक के नियमों में समय-समय पर होने वाले परिवर्तनों की जानकारी मुझे/हमें बैंक की वेबसाइट (www.obcindia.co.in) पर उपलब्ध कराई जाएगी तथा विभिन्न खातों/सेवाओं से संबंधित नियमों एवं शर्तों में हुए इस प्रकार के परिवर्तन मुझे/हमें मान्य होंगे।

i) मैं/हम इसके लिए सहमति व्यक्त करता हूं/करते हैं कि बैंक समय-समय पर लागू सभी सेवा प्रभार मेरे खाते से डेबिट कर सकता है।

ii) मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें किसी भी प्रतिबंधित संगठन से अंशदान/दान/राशि प्राप्त नहीं होती है।

iii) मैं/हम प्रतिवर्ष अप्रैल माह में अग्रिम रूप से फॉर्म 15 जी/एच जमा करने का वचन देता हूं/देते हैं।

iv) मैंने /हमने आपके बैंक की किसी अन्य शाखा/ अन्य बैंक से कोई ऋण नहीं लिया है। मैं/हम वचन देता हूं/देते हैं कि यदि मैं/हम किसी अन्य बैंक/ आपके बैंक की अन्य शाखा से कोई ऋण लेते हैं तो आपको यथाशीघ्र इसकी लिखित सूचना दूंगा/देंगे।

v) मैं/हम आपको एतदद्वारा इस खाते में आहरित उन सभी चेकों/आदेशों/बिलों/नोटों को सकारने के लिए जो मेरे/हमारे द्वारा आहरित किए गए हो, और ऐसे चेकों अथवा आदेशों को तब तक मेरे खाते से डेबिट करने के लिए प्राधिकृत करता हूं/करते हैं जब तक राशि क्रेडिट में अथवा अन्यथा हो। कृपया मुझे/हमें, मेरे/हमारे प्रयोग के लिए एक पास बुक और एक चेक बुक जारी करें।

vi) मैंने/हमने नियम और विनियमों की संलग्न प्रति को पढ़ लिया है, कृपया मुझे/हमें मेरे/हमारे प्रयोग हेतु एक पासबुक और एक चैक बुक जारी करें।

vii) **एफएटीसीए के अंतर्गत स्व प्रमाणपत्र - (केवल तभी प्रमाणित किया जाए यदि - (क) ग्राहक द्वारा उल्लिखित देश भारत के अलावा कोई अन्य देश है और टिन या कार्यात्मक समकक्ष उपलब्ध नहीं है, या (ख) यूएस व्यक्ति में "हां" लिखा गया है, और टिन उपलब्ध नहीं है।) मैं पुष्टि करता हूं कि मैं न तो यूएस का व्यक्ति हूं और न ही भारत के अलावा किसी ऐसे देश का कर उद्देश्य हेतु निवासी हूं, हालांकि एक या अधिक मानदंड मेरा भारत से बाहर देश के साथ संबंध दर्शाते है। अत:, मैं मेरी नागरिकता और/या भारत में आवासीयता के प्रमाण संबंधी दस्तावेज उपलब्ध करवा रहा हूं।**

प्राथमिक खाता धारक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (पु- एलटीआर, स्त्री - आरटीआर)	प्रथम संयुक्त खाता धारक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (पु- एलटीआर, स्त्री - आरटीआर)	द्वीतीय संयुक्त खाता धारक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (पु- एलटीआर, स्त्री - आरटीआर)

*(आवेदक के अंगूठा लगाने के मामले में गवाह अवश्य चाहिए)

प्रथम गवाह का नाम:	हस्ताक्षर	द्वीतीय गवाह का नाम:	हस्ताक्षर
पता:		पता:	

कार्यालय प्रयोग हेतु

	आईडी प्रमाण	पते का प्रमाण	फोटो
प्राथमिक आवेदक			
संयुक्त आवेदक 1			
संयुक्त आवेदक 2			
स्वागत किट जारी किया	हां	नहीं	
ई-केवाईसी सत्यापन एवं रसीद संलग्न	हां	नहीं	
जोखिम श्रेणी	अति उच्च जोखिम (सी-4)	उच्च जोखिम (सी-3)	
	मध्यम जोखिम (सी-2)	कम जोखिम (सी-1)	

प्रारंभिक सीमा
प्राथमिक आवेदक
संयुक्त आवेदक 1
संयुक्त आवेदक 2

लीड जनरेटर पीएफ नं.:

प्राधिकृत पदधारी/हॉल प्रभारी के हस्ताक्षर

पीए/पीएफ नं.

शाखा प्रभारी के हस्ताक्षर

पीए/पीएफ नं.

कासा बैंक ऑफिस में सत्यापन तकनीक

खाली छोड़ा गया बाद के पृष्ठों को अलग करके ग्राहक को दें। अत: इन्हें स्कैन करके कासा बैक ऑफिस नहीं भेजा जाए।

ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स

अनिवासी व्यक्तियों हेतु ग्राहक अनुदेश

(इस पृष्ठ को अलग करके ग्राहक को सुपुर्द किया जाए। इसे खाता खोलने के फॉर्म के साथ स्कैन करके नहीं भेजना है।)

नामांकन की पावती

नामांकन प्राप्ति एवं पंजीकरण की तारीख | दि | दि | मा | मा | व | व | व | व |

खाते का नाम ____________________

खाता संख्या ____________________

कृते ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स　　　　प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

पहचान और पते के प्रमाण हेतु केवाईसी दस्तावेजों की सूची

ग्राहकों	दस्तावेज (निम्नलिखित आधिकारिक वैध दस्तावेजों में से कोई एक प्रमाणित दस्तावेज की प्रति)	
व्यक्तियों के खाते पहचान व पते का प्रमाण	(i) पासपोर्ट (ii) पैन कार्ड (iii) मतदाता पहचान पत्र (iv) ड्राइविंग लाइसेंस (v) राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड (vi) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम, पता और आधार संख्या दी गई हो।	
	पहचान प्रमाण पत्र	i.केंद्र सरकार/राज्य सरकार के विभागों/वैधानिक/विनियामक प्राधिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थानों द्वारा आवेदक की फोटो सहित जारी पहचान पत्र ii. राजपत्रित अधिकारी द्वारा व्यक्ति की फोटो को विधिवत अधिप्रमाणित करते हुए जारी किया गया पत्र
	पते का प्रमाण पत्र	**i किसी भी सेवा प्रदाता (बिजली, टेलिफोन, पोस्टपेड मोबाइल फोन, पाइप गैस, वाटर बिल) का उपयोगिता बिल जो दो महिने से अधिक पुराना नहीं हो; ii. संपत्ति या नगरपालिका कर की पावती; iii. बैंक या डाकघर बचत बैंक खाते का विवरण; iv. सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जारी पेंशन या परिवार पेंशन भुगतान आदेश जिसमें पते का विवरण दिया गया हो; v. राज्य या केंद्र सरकार के विभागों, वैधानिक या विनियामक निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको, वित्तीय संस्थाओं और सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी आवास आबंटन पत्र। उसी तरह, ऐसे नियोक्ताओं के साथ लीव-लाइसेंस जो आधिकारिक आवास का आबंटन करते है; और vi. विदेशी अधिकार क्षेत्र के सरकारी विभागों द्वारा जारी दस्तावेज और भारत में विदेशी दूतावास या मिशन द्वारा जारी पत्र।**
	करदाता पहचान प्रमाण पत्र संख्या (एफएटीसीए/ सीआरएस हेतु)	इनमें से किसी एक की प्रति - i. करदाता पहचान संख्या; ii. सामाजिक सुरक्षा संख्या; iii. राष्ट्रीय बीमा संख्या; iv. नागरिक/वैयक्तिक पहचान कोड/संख्या; v. निवासी पंजीकरण संख्या आदि
	लघु खाता – खाता खोलने के इच्छुक व्यक्ति को एक स्वयं अधिप्रमाणित फोटो और बैंक के प्राधिकृत अधिकारी की मौजूदगी में खाता खोलने के फॉर्म पर हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाना होगा, जैसा भी मामला हो।	
ट्रस्ट के खाते	(क) पंजीकरण प्रमाणपत्र; (ख) ट्रस्ट का विलेख; और ट्रस्ट की ओर से लेनदेन हेतु मुख्तारनामा धारक व्यक्ति के संबंध में एक आधिकारिक वैध दस्तावेज	
अनिगमित संघ या व्यक्तियों की संस्था के खाते	(क) ऐसे संघ या व्यक्तियों की संस्था के प्रबंधन मंडल का संकल्प; (ख) इसकी ओर से लेनदेन करने हेतु उन्हें दिया गया मुख्तारनामा; (ग) इसकी ओर से लेनदेन हेतु मुख्तारनामा धारक व्यक्ति के संबंध में एक आधिकारिक वैध दस्तावेज; और (घ) इस तरह के संघ या व्यक्तियों की संस्था के कानूनी अस्तित्व को स्थापित करने के लिए बैंक को ऐसी जानकारी चाहिए	

एफएटीसीए/सीआरएफ – उदाहरणार्थ टिन (TIN) से प्रक्रियात्मक समानता

सामाजिक सुरक्षा संख्या, राष्ट्रीय बीमा संख्या, नागरिक या व्यक्तिक पहचान कोड या संख्या, निवासी पंजीकरण संख्या आदि

बचत बैंक खाता नियम

बचत बैंक खाता कौन खोल सकता है?

बचत बैंक खाता निम्न द्वारा खोला जा सकता है:

क) व्यक्ति द्वारा अपने नाम पर।

ख) एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त नाम में, सभी को संयुक्त रूप से देय अथवा उनमें से किसी एक या उत्तरजीवी, पूर्ववर्ती/परवर्ती अथवा उत्तरजीवी अथवा उनमें से कोई एक अथवा एक से अधिक उत्तरजीवी को देय हो सकता है । इस संबंध में, खाता खोलने के समय लिखित रूप में स्पष्ट निर्देश दिए जाने अपेक्षित हैं ।

ग) 10 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के साक्षर अवयस्क द्वारा अपने नाम पर अपनी जन्म तिथि का प्रमाणपत्र देने पर । अवयस्क के माता या पिता के संरक्षण में, अवयस्क के नाम से भी खाता परिचालित किया जा सकता है।

घ) संस्था, क्लब, एसोसिएशन, ट्रस्ट, चैरिटेबल / शैक्षणिक संस्थान, हिन्द अविभाजित परिवार द्वारा बशर्ते वे व्यापारिक या कारोबारी संस्थान न हों ।

ङ) संस्थाओं/संस्थानों/एसोसिएशनों दवारा, जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत आयकर अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

बचत खाता कौन नहीं खोल सकता है?

सरकारी विभागों के कार्य-निष्पादन के लिए बजटीय आबंटन के आधार पर निकायों/नगर निगम अथवा नगर समिति/ पंचायत समिति/ राज्य आवास बोर्ड/ जल एवं सीवरेज/ जल निकासी बोर्ड/ राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम/ सोसायटी/ महानगर विकास प्राधिकरण/ राज्य/ जिला स्तरीय सहकारी आवास समितियों, आदि अथवा किसी राजनीतिक पार्टी अथवा किसी व्यवसाय /कारोबार अथवा पेशेवर संस्था के नाम पर खाते खोलना प्रतिबंधित है, चाहे वह स्वामित्व अथवा साझेदारी इकाई हो अथवा कंपनी या एसोशिएसन हो।

खाता खोलने हेतु आवश्यकताएं

क) दो नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ (अव्यस्क के मामले में : यदि खाता अभिभावक के संरक्षण में खोला जाना है तो अभिभावक की फोटोग्राफ)　ख) पैन कार्ड/फार्म 60　ग) पहचान तथा पते का प्रमाण

सामान्य नियम

क) बचत खाता मुख्यत: व्यक्तिगत खाता होता है तथा यह कारोबारी लेन-देन के लिए नहीं होता है । इस खाते में परिचालन बैंक के नियमानुसार किए जाएगें । ग्राहकों को परामर्श है कि बचत खाते के नियमों का पालन करें तथा यदि ग्राहक वाणिज्यिक लेन-देन करना चाहता है तो खाता चालू खाता योजना के तहत खोला जाएगा।

ख) खाते में प्रति वर्ष अधिकतम 100 आहरण लेनदेन मान्य होंगे। अतिरिक्त आहरण लेनदेनों के लिए बैंक निर्धारित दर पर प्रति लेनदेन हेतु प्रभार लगा सकता है

ग) खाते में जमा प्रविष्टियों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। बचत बैंक खाते में न्यूनतम ` 5/- तक की राशि जमा कराई जा सकती है।

घ) खाते की पासबुक / विवरणी शाखा / ई-लॉज से प्राप्त / अद्यतित की जा सकती है, विभिन्न सेवाओं अर्थात्; डुप्लीकेट पासबुक, ई-विवरणी, फोलियो प्रभार, डुप्लीकेट पासबुक में पुरानी प्रविष्टियां, चेक बुक जारी करना, चेक वापसी प्रभार, एनएसीएच/ईसीएस प्रभार, एसएमएस अलर्ट, स्थायी अनुदेश संबंधी अधिदेश, एटीएम/डेबिट कार्ड की एमआईटीसी, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग आदि के लिए प्रभार की सूचना "टैरिफ शेड्यूल तथा नि:शुल्क प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर न्यूनतम जानकारी" ब्राउशर में उपलब्ध है, जो शाखा से प्राप्त की जा सकती है।

ङ) खाताधारक के पक्ष में ही आहरित चेक एवं अन्य लिखत केवल संग्रहण हेतु स्वीकार किए जाएगें। सामान्य नियमानुसार तीसरे पक्ष के चेक तथा लिखत संग्रहीत नहीं किए जाते हैं। ग्राहक ऐसे चेकों को बैंक में जमा कराने से पूर्व इन्हें रेखांकित करें।

च) शाखा में एक व्यक्ति केवल एक ही खाता खोल सकता है। तथापि, ग्राहक अन्य के साथ एक या अधिक संयुक्त खाते खोल सकता है।

छ) ग्राहकों से अपेक्षा की जाती है कि वे खाते में निर्धारित न्यूनतम शेष बनाए रखें, अन्यथा यथालागू प्रभार लगाए जाते हैं।

ज) गैर -गृह शाखा और कैश मशीन में भी नकदी जमा की सुविधा उपलब्ध है।

झ) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु, खाता खोलने के बाद ग्राहक पहचान डाटा (फोटोग्राफ सहित) आवधिक तौर पर अद्यतित किया जाता है। ग्राहकों से अपेक्षित है कि वे समय-समय पर शाखा के अनुरोध पर जरूरी प्रलेख/फोटोग्राफ प्रस्तुत करें।

ञ) बचत बैंक खाता अपरिचालित/निष्क्रिय खाते की श्रेणी में आ जाता है, यदि उस खाते में लगातार दो वर्षों तक कोई परिचालन नहीं होता है। एक बार खाते के निष्क्रिय श्रेणी में आने पर, खाते की स्थिति को सक्रिय में परिवर्तित किए बिना उसमें डेबिट की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसके लिए खाताधारक से विशेष अनुरोध प्राप्त करना आवश्यक है।

ट) ग्राहक की निजी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी जब तक कि वे किसी वित्तीय सेवा प्रदाता को अपनी विशिष्ट सहमति ना दें या जब तक कानूनन यह सूचना देना आवश्यक ना हो या किसी कारोबारी उद्देश्य के लिए उपलब्ध कराना अनिवार्य ना हो (जैसे क्रेडिट सूचना कंपनियों को)। ग्राहक को किसी संभावित अनिवार्य कारोबारी उद्देश्य की सूचना पहले दी जाएगी। ग्राहक को ऐसे सभी संप्रेषणों, इलैक्ट्रॉनिक या अन्यथा, के प्रति संरक्षण का अधिकार होगा, जिनसे उनकी निजता प्रभावित होती हो।

ठ) परिपक्वता के पूर्व सावधि जमा को बंद करने हेतु या सावधि जमा के विरूद्ध ऋण प्राप्त करने हेतु सभी संयुक्त खाताधारकों से अनुमति आवश्यक है।

ड) नामांकन हेतु अनुरोध केवल व्यक्ति या एकल स्वामित्व द्वारा वह भी केवल एक व्यक्ति के पक्ष में ही किया जा सकता है।

ढ) बैंक नियमों एवं शर्तों / शुल्क और प्रभारों में किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना 30 दिन पहले वेब अर्थात www.obcindia.co.in द्वारा देगा।

ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स

अनिवासी व्यक्तियों के लिए ग्राहक अनुदेश

(इस पृष्ठ को अलग करके ग्राहक को सुपुर्द किया जाए। इसे खाता खोलने के फॉर्म के साथ स्कैन करके नहीं भेजना है।)

आहरण पर्ची द्वारा आहरण

क) बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशानुसार, आहरण फार्म के जरिए केवल रु. 15000/- तक की अधिकतम राशि के आहरण की अनुमति होगी। शाखा में भुगतान हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले आहरण फार्म के साथ संबंधित पासबुक अवश्य होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, आहरण फार्म पर भुगतान केवल खाताधारक को उसी शाखा में किया जाएगा जिसमें खाता रखा गया है तथा किसी अन्य शाखा में नहीं किया जाएगा अर्थात्; 'कहीं भी बैंकिंग' सुविधा इस प्रकार के मामलों में उपलब्ध नहीं होगी।

ख) जब तक कि खाता बंद नहीं किया जा रहा हो, रु. 50/- से कम की राशि आहरित नहीं जा सकती।

<u>ब्याज:</u> बचत जमाओं की स्थिति में, 01 अप्रैल, 2010 से दैनिक गुणनफल आधार पर ब्याज लगाया जाएगा तथा इसे खाते में तभी क्रेडिट किया जाएगा जब ब्याज की राशि रु.1/- या अधिक हो। अप्रैल, 2016 से खाता बंद होते समय ब्याज मासिक आधार पर क्रेडिट किया जाएगा। फिलहाल, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार बचत बैंक खातों में 4% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान किया जा रहा है।

<u>सेवा प्रभार:</u>

नवीनतम सेवा प्रभार www.obcindia.co.in पर अपलोड हैं। वर्तमान में, निम्नलिखित सेवाओं के लिए ग्राहकों से प्रभार वसूले जा रहे हैं:

(क) न्यूनतम शेष न रखना

(ख) डुप्लीकेट पासबुक/ खाते की विवरणी जारी करना

(ग) माइकर चेक बुक जारी करना

(घ) स्थायी अनुदेश

ङ) भुगतान पर रोक संबंधी अनुदेश

(च) खाता खोलने के 12 महीनों के भीतर खाता बंद करना

(छ) टोकन का गुम होना

<u>बचत बैंक लघु खाता:</u>

बचत बैंक लघु खाता व्यक्तियों के लिए लागू होगा तथा निम्न शर्तों पर खोला जाएगा:

क) वित्तीय वर्ष में समस्त जमा राशि का योग रुपए एक लाख से अधिक नहीं होगा;

ख) किसी माह में सभी आहरण एवं अंतरणों का कुल योग रु. 10000/- से अधिक नहीं होगा;तथा

ग) किसी भी समय खाते में शेष रु. 50000/- से अधिक ना हो

घ) लघु खाते शुरुआत में बारह माह के लिए तथा उसके बाद अगले बारह माह की अवधि के लिए परिचालन में रहेंगे, यदि इस प्रकार के खाते का धारक चौबीस माह के बाद, इस प्रकार के खाते के सबंध में समस्त छूट के प्रावधानों के साथ, इस प्रकार के खाते के खुलने के बारह माह के भीतर अधिकारिक वैध दस्तावेजों के लिए आवेदन दिए जाने का प्रमाण बैंकिंग कंपनी के समक्ष उपलब्ध करा देता है।

<u>निरक्षर/नेत्रहीन व्यक्ति का खाता</u> - केवल बचत खाता खोलने हेतु

ग्राहक की श्रेणी			खाता खोलना	चैक बुक	एटीएम	खाते का परिचालन
निरक्षर			व्यक्तिगत रूप से	नहीं	हां	स्वयं
निरक्षर के साथ संयुक्त रूप से निरक्षर			संयुक्त	नहीं	हां	कोई एक या उत्तरजीवी या संयुक्त
निरक्षर नेत्रहीन निरक्षर के साथ			संयुक्त	नहीं	हां	कोई एक या उत्तरजीवी या संयुक्त
निरक्षर के साथ निरक्षर			संयुक्त	*हां	हां	कोई एक या उत्तरजीवी या संयुक्त
नेत्रहीन निरक्षर, साक्षर के साथ			संयुक्त	*हां	हां	कोई एक या उत्तरजीवी या संयुक्त

1) संयुक्त परिचालन(परिचालन माध्यम) के मामले में, एटीएम / डेबिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा।

2) साक्षर नेत्रहीन व्यक्ति को उसके नाम पर एकल/ अन्य, जिसे वह विश्वसनीय मानता है, के साथ संयुक्त बचत खाता खोलने की अनुमति है। नेत्रहीन व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के सभी बैंकिंग सुविधाएं यथा, तीसरे पक्ष के चेकों सहित चेक बुक सुविधा, एटीएम सुविधा, नेट बैंकिंग सुविधा, लॉकर सुविधा, रिटेल ऋण अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं।
*अंगूठे के निशान पर चेक जारी नहीं किया जा सकता।

<u>चालू खाता:</u>- यह व्यक्ति/भागीदारी फर्मों/प्राइवेट व पब्लिक लि. कंपनियां/ हि.अवि.परि./ निर्दिष्ट सहयोगियों/ सोसायटियों/ ट्रस्टों आदि द्वारा खोला जा सकता है।

<u>सावधि जमा खाता:</u>- व्यक्ति (एकल या संयुक्त रूप से), फर्मों, लिमिटेड कंपनियों, ट्रस्टों, संघों, संयुक्त हिन्दु परिवारों, अवयस्कों, अटर्नी तथा अन्य के द्वारा खोला जा सकता है। रू. 1 करोड़ एवं उससे अधिक की सावधि जमा बल्क जमा होंगे। बल्क जमा के लिए ब्याज दर हमारे बैंक की वेबसाइट और ओबीसी वेब पोर्टल पर दैनिक आधार पर प्रदर्शित किया जा रहा है।
<u>एफएटीसीए(फटका)</u>- भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कर अनुपालन में सुधार तथा विदेशी खाते कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) (फटका) को लागू करने हेतु 9 जुलाई, 2015 को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अंतर सरकारी समझौते (आईजीए) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
<u>सीआरएस</u>- भारत ने 3 जून, 2015 को सामान्य रिपोर्टिंग प्रणाली (सीआरएस), जिसे पूर्व में वित्तीय खाते की जानकारी के स्वत: आदान-प्रदान के लिए मानक (ए ई ओ आई) के रूप में जाना जाता था, के तहत कर मामलों में आपसी प्रशासनिक सहायता पर सम्मेलन की धारा 6 के आधार पर सूचनाओं के स्वत: आदान-प्रदान के लिए बहुपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं।
<u>सीकेवाईसीआर-</u> केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) वित्तीय क्षेत्र में ग्राहकों की केवाईसी रिकॉर्ड का एक केंद्रीकृत रिपॉजटरी है, जहां इस क्षेत्र के सभी केवाईसी रिकार्ड एक समान केवाईसी मानदंड एवं पारस्परिक उपयोगिता के साथ रखे जाते है, इस उद्देश्य के साथ कि जब ग्राहक किसी भी वित्तीय इकाई के साथ खाता खुलवाए तो उसे हर बार केवाईसी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने एवं इसे सत्यापित करने की आवश्यकता कम करने की है।

अन्य सूचना बुकलेट / ब्राउशर के रूप में शाखा में उपलब्ध है तथा यह बैंक की वेबसाइट www.obcindia.co.in पर भी उपलब्ध है।

1.सिटिजन चार्टर

2. सामान्य लेनदेन के लिए समय मानदंड

3. सभी बैंक नोटों के डिजाइन तथा सुरक्षा विशेषताएं

4. चेक संग्रहण, शिकायत/निवारण तंत्र प्रतिभूति का पुन: कब्जा तथा क्षतिपूर्ति से संबंधित पॉलिसी दस्तावेज

5.नि:शुल्क प्रदान की जा रही सेवाओं सहित सेवा प्रभार

6. उचित व्यवहार संहिता/ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता संहिता

***पेंशनभोगी: केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/बैंकों से पेंशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति। # वरिष्ठ नागरिक: ऐसा व्यक्ति जो 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।**

बीसीएसबीआई कोड्स हमारी सार्वजनिक डोमेन वेबसाइट पर प्रदर्शित हैं।

<u>शिकायत निवारण तंत्र-</u> हमारी सेवा या उत्पाद के बारे में किसी भी प्रकार की शिकायत के मामले में, इसके त्वरित निवारण हेतु इसे संबंधित शाखा प्रबंधक की सूचना में लाया जाए। बैंक ने अपनी वेबसाइट पर शिकायतों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की है। बैंक की वेबसाइट www.obcindia.co.in पर ग्राहकों की शिकायत दर्ज करने, शिकायत की स्थिति जानने तथा बैंक से उत्तर प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन शिकायत प्रणाली उपलब्ध है।

ग्राहक संबंध केंद्र का टोल फ्री नंबर है - 1800-180-1235 ;
एटीएम से संबंधित मामलों का टोल फ्री नंबर है - 1800-345-2424

अधिक जानकारी के लिए शाखा प्रबंधक से संपर्क करें।